न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0237/अ-20(3)/2023-24
जेथलिया/सिंगोली

वनमण्डलाधिकारी सामान्य
वनमण्डल, नीमच द्वारा कार्यपालन
यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच म.
प्र.शासन -------आवेदक
विरूद्ध
मध्यप्रदेश शासन------अनावेदक

आदेश
(दिनांक 06-02-2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र क्र. 52/कार्य-113/वन प्रकरण/2024 दिनांक 08.01.2024 द्वारा गंगाबावड़ी, परवनी एवं बाणदा योजना के निर्माण हेतु वन भूमि के बदलें ग्राम जेथलिया स्थित सर्वे नं. 247/3/2 में कुल रकबा 14.812 में से 3.00 हे. तथा सर्वे नं. 248 में कुल रकबा 11.547 हे. से 8.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

2- प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र की विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /नजूल अधिकारी को प्रेषित किया । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/नजूल अधिकारी द्वारा विधिवत जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित किया कि तहसीलदार सिंगोली द्वारा द्वारा प्रकरण दर्ज कर विज्ञप्ति प्रकाशन का किया गया। ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त। मौजा पटवारी से रिपोर्ट चाही गई। पटवारी प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन सर्वे नंबर शासकीय होकर मौके पर रिक्त है। म.प्र. राज्य पत्र दिनांक 24.09.2020 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश अध्याय-2 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गयी नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नही होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड जावद द्वारा प्रकरण में तहसीलदार जावद के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नीमच को गंगाबावड़ी, परवनी एवं बाणदा परियोजना निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि ग्राम जेथलिया स्थित सर्वे नं. 247/3/2 में कुल रकबा 11.547 हे. में से 3.00 हे. तथा सर्वे नं. 248 में कुल रकबा 14.812 हे. में से 8.00 हे. कुल 11.00 हे. भूमि नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के अंतर्गत हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

3- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार कं. 1 - मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक **06/02/2024** को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से गंगाबावड़ी, परवनी एवं बाणदा परियोजना निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नीमच को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है ।

कलेक्टर
जिला-नीमच (म.प्र.)

4– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम जेथलिया स्थित सर्वे नं. 247/3/2 में कुल रकबा 11.547 हे. में से 3.00 हे. तथा सर्वे नं. 248 में कुल रकबा 14.812 हे. में से 8.00 हे. कुल 11.00 हे. भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय –दो कंडिका 14 के तहत वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नीमच को गंगाबावड़ी, परवनी एवं बाणदा परियोजना निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के बदलें राजस्व भूमि हस्तांतरित की जाती है ।

(दिनेश जैन)I.A.S.
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क 1501/आर.टी.सी./2023–24 नीमच, दिनांक 06–02–2024

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

2– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड/नजूल अधिकारी जावद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5– तहसीलदार सिंगोली की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालय कलेक्टर जिला-नीमच (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला-नीमच (म.प्र.)